SHRI JYOTIRMOY BOSU: Mr. Bansi Lal can elaborate. He can elaborate in two minutes.

(Interuptions) **

(Shri R. N. Rakesh then left the House)

SHRI BANSI LAL: The first is the Eighth Report of CPU (Sixth Lok Sabha) on Jute Corporation of India unfair pricing policy for raw jute. The Second is the Twelveth Report of CPU (Sixth Lok Sabha) on Jute Corporation of India—back to back arrangement.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Under Rule 222, I give formal notice that the matter be taken by the Privileges Committee.

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रिविलेज मोशन के सम्बन्ध में दिया था।

MR. SPEAKER: Please see me in my chamber.

श्री राम विलास पासवान : डिपुटी स्पीकर ने कहा था कि वह फ़ैक्ट्स फ़ाइंड कर के बतायेंगे।

अध्यक्ष मोहदय : आप मुझसे मिल लीजिए।

12.06 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

BUILDING OF SOME SUSPECTED CRIMINALS IN BIHAR

श्री धनिक लाल मंडल (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर गृह मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"बिहार में पुलिस अधिकारियों द्वारा कुछ संदिग्ध अपराधियों को अन्धा किये जाने का समाचार।"

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH): Sir, The Government of India are shocked at the inhuman and barbaric acts reported to have been perpetrated on some under trial prisoners in Bhagalpur district of Bihar. It is natural that the Hon'ble Members of the Parliament should be deeply anguished over these incidents.

2. Immediately after the attention of the Government of India was drawn to the matter, the State Government of Bihar was contacted on telex as well as on telephone to send a detailed report immediately. As per the report of the State Government investigations into the incidents have already been taken up by the C.I.D. of Bihar. On the basis of these preliminary investigations, immediate actions have been taken by the State Government. Criminal cases have been instituted against 14 police officials against whom allegations have been made by the concerned under trial prisoners in petitions both before the District Judge, Bhagalpur and before the Supreme Court. According to the information received from the State Government, one Deputy Superintendent of Police, one Inspector and 12 sub-Inspectors have already been suspended and transferred out of their jurisdictions.

3. The allegations of blinding by policemen have been made by 29 persons. Sixteen of them are in Bhagalpur Jail, 2 are in Banka Sub-Jail and 11 are on bail. On the basis of the complaints made by these under trials, 14 cases have been registered against the police officials reportedly involved in the act of blinding the under-trials concerned. Directives have also

*Not recorded.

(Shri P. Venkatasubbaih)

been issued by the State Government to the authorities concerned that cases should be instituted in respect of the remaining under-trials also. Out of 29 under-trials who have been blinded in the incidents, 22 persons have been examined by the D.I.G. C.I.D. Bihar so far. Out of these 22 persons, 20 have alleged that police officers of different categories were responsible for blinding them, whereas two persons have stated that the blinding was done by the villagers. The matter was first reported by one of the under trials in a petition to the District Judge, Bhagalpur, on 6th July, 1980. Ten more petitions were filed before the District Judge, Bhagalpur, by blinded under-trials on 30th July 1980 15 under-trials also sent petitions to the Supreme Court from Bhagalpur Jail and writ petitions No. 5352 of 1980 (10 persons) and No. 567 of 1980 (5 persons) are pending before the Supreme Court.

4. Meanwhile, a team of Doctors, including leading Opthalmologists of the Patna Medical Hospital are proceeding to Bhagalpur to examine the blinded under-trial persons involved in the incidences. The Government of Bihar have constituted a Committee consisting of seven legislators including the Leader of the Opposition. The first meeting of the Committee is proposed to be held on 3rd December 1980 and the Committee is expected to visit Bhagalpur on the 4th December, 1980.

I may add to this statement for the information of the hon. Members that as per the latest report of the State Government, the number of blinded under-trials who have been complained about is 31. We have also been informed by the State Government that the police officials responsible for perpetrating the barbaric crime are being arrested and the Superintendent of Police, Bhagalpur, has been transferred to headquarters.

I am glad to inform the hon. Members that the Prime Minister has sanctioned (*Interruptions*) and *ex-gratia* payment at the rate of Rs. 15,000/- for each of these under-trials who have been blinded.

(*Interruptions*)

श्री धनिक लाल मण्डल : अध्यक्ष महोदय, आप की चिन्ता सदन की चिन्ता और सरकार की चिन्ता इस अमानवीय घटना के प्रति जो है वह तो है ही। मैंने इस के पूर्व भी आप के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया था कि कांग्रेस सरकार के आने के बाद और खासकर इन गृह मंत्री के आने के बाद बिहार शनै शनै आदिम युग की ओर खिसकता हुआ जा रहा है, इसको बचाया जाय। यह धीरे धीरे बार शिरियनिज्म के युग में बिहार चला जा रहा है। एक नहीं अनेक ऐसी घटनाएं है जिन से इस नतीजे पर पहुचा हूं और आप भी इस नतीजे पर पहूंच रहे हैं कि जब से यह सरकार आई है बारबरिजम युग की तरफ बिहार खिसकता चला जा रहा है।

बिहार में मुख्य मंत्री ने एक बहुत अच्छा सिद्धांत गढ़ निकाला है। उन्होंने इस को सोशल में सैक्शन बतलाया है। आप ने उस को पढ़ा है। उन्होंने कहा है कि बिहार में जितना आन्दोलन होना चाहिए था इस घटना को ले कर वह नहीं हुआ? क्यों इसलिए कि सोशल सैक्शन इस के पीछे है। इसलिए किसी ने इस के ऊपर कोई आवाज नहीं उठाई इस को आन्दोलन का रूप नही दिया। यह बात सही है।

12.15 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

मुख्य मत्री जी ने जो बात कही है वह सही है बिहार में फयूडलिज्म सबसे ज्यादा मजबूत है, एग्रेसिव है। हिन्दुस्तान में यदि

कहीं भी आज सामन्तवाद, सामन्ती प्रथा है और वह मजबूत और एग्रेसिव है तो वह बिहार में है। वहां पर जो सामन्त लोग है वे कैसा व्यवहार अपने मजदूरों के साथ करते हैं, जैसा कि मैंने आपका ध्यान आकृष्ट किया कि बड़े सामन्त लोग, पुलिस और यह सरकार –इन तीनों का ऐसा कंबिनेशन बना हुआ है कि यह बड़े लोग पुलिस से गन्दा काम लेते हैं। यह 79 लोग जिनको अंधा बनाया गया है वे सबके सब हरिजन और पिछड़ी जाति के हैं, खेत मजदूर और भूमिहीन की श्रेणी में हैं। यह सारे के सारे लोग एकोनामिकली गरीब हैं और सोशली हरिजन हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि बिहार में क्राइम्स हरिजन और पिछड़ी जाति के लोग ही करते हैं, दूसरे लोग नहीं करते हैं फिर इन लोगों के साथ ऐसी घटना हुई, इसका क्या अर्थ है ? इसका यही अर्थ है कि वहां पर फ्यूडल लोग पुलिस से गन्दे काम लेते हैं। फ्यूडल लोग बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन में भी एन्ट्रेंच्ड हैं। आप इसमें सारे के सारे नाम पढ़ लीजिए, सभी लोग हरिजन और पिछड़ी जातियों की श्रेणी में ही आते हैं।

महोदय, बोधगया में क्या हो रहा है मैंने उस रोज बोधगया की घटना के बारे में ध्यान दिलाया था। और भी बहुत सारे सदस्यों ने उस घटना के बारे में ध्यान दिलाया है कि 18 हजार एकड जमीन के जोतदार हैं बोधगया के महन्त जरा इन लोगों को बताइये जोकि बीस सूत्री कार्यक्रम वाले हैं कि 18 हजार एकड़ जमीन एक आदमी के पास है। वहां छात्र युवा संघर्ष वाहिनी जिसके नेता श्री जय प्रकाश नारायण जी थे और किसान कामगार यूनियन के लोग काम कर रहे हैं, ढाई हजार एकड़ जमीन पर गरीब हरिजन लोगों ने खेती की थी जिसको बिहार की सरकार पुलिस की मदद से कटवा रही है। जयराम गिरि कांग्रेस के एक बड़े आदमी हैं जोकि बोधगया के महन्त के लठैत हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Mandal, please concentrate on the subject matter.

श्री धनिक लाल मण्डल : मैं वहां के फ्यूडलिज्म का नजारा दे रहा हूं। अभी सरोबाद में क्या हुआ ? एक मनीलेण्डर ने पुलिस की मदद से उस गांव में आदिवासियों पर हमला किया। सरोबाद सासाराम से 12 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर है। क्या यह सही नहीं है कि वहां के बड़े लोग, जोकि कांग्रेस (आई) के लोग हैं, खासकर जो जमींदार लोग हैं, बड़े भूमिपति और पूंजीपति हैं—इन सारे लोगों ने पुलिस की मदद से . . .

MR. DEPUTY-SPEAKER: Inhuman crime has been committed. Please concentrate on that.

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : इसमें कुछ पोलिटिकल नहीं है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Government is also of the same view.

श्री धनिक लाल मंडल : इस तरह से यह भूमिपति कांग्रेस (आई) के बड़े लोग पुलिस से यह काम करवा रहे हैं। और यह घटना कब हुई। यह घटना हुई है लोक सभा के चुनावों के बाद। लोक सभा के चुनावों में जब इनकी जीत हो गई कांग्रेस (आई) की तो इनके जमीदारों और भूमिपतियों के मन बहुत बढ़ गए और पुलिस की मदद से उन्होंने वहां पर यह काम शुरू कर दिया। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब 75-76 इमरजेंसी का समय था, उस समय भोजपुर और रोहतास जिले में 148 हरिजनों को

[श्री धनिक लाल मंडल]

नक्सलवादी के नाम पर, बोगस-एनकाउंटर के नाम पर गोली से उड़ा दिया गया या नहीं ? आज 79 को आपने अंधा कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि इन दोनों में से कौन बुरा है– गोली से मार देना बुरा है या अन्धा कर देना बुरा है ? पुलिस अधिकारियों में बड़े लैवल पर बातचीत हुई। इस में दो तरह की थ्योरी है, एक गोली से उड़ दिया जाए और दूसरे आंख से अन्धा बना दिया जाए।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : किस लैवल पर बातचीत हुई ?

श्री धनिक लाल मण्डल : आई० जी०, डी० आई० जी०, कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट एड-मिनिस्ट्रेशन के स्तर पर बातचीत हुई। इस-लिए मैं कह रहा था कि जरा बिहार की स्थिति को समझ लीजिए। वही फ्यूडल लोग वहां पर है और उनके आदमी एडमिनिस्ट्रेशन में हैं। इन दोनों की मिली-भगत से ये सारी घटनायें होती हैं। इसको जब तक हाई-लैवल पर प्रोब नहीं किया जाएगा, तब तक आपको घटना की जानकारी नहीं होगी। इन छोटे अफसरों को सस्पैंड कर देने से कुछ नहीं होगा। आप बतला रहे हैं कि सुप्रीन्टेंडेंट को सस्पैंड कर दिया। मैं मांग करता हूं कि क्या इस तरह की जो घटनायें हुई हैं, जिसमें मैंने भागलपुर, करसनमां, सरोबाग, बुआ और बौद्ध-गया के नाम लिए, इनकी जांच के लिए पुलिस और बड़े लोग मिलकर ग़रीबी हटाने के बजाय गरीबों का सफाया कर रहे हैं, उनकी जुडिशियल इंक्वायरी करायेंगे ? आप कहते हैं कि जी० आई० जी० इंक्वायरी कर रहे हैं, डी० आई० जी० की इंक्वायरी करने से क्या होगा... (**व्यवधान**) ...

MR. DEPUTY-SPEAKER: This will not go on record.

... (*Interruptions*) * ...

श्री धनिक लाल मण्डल: मेरा एक क्वश्चन जुडिशियल इंक्वायरी कराने के बारे में हुआ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अब इन्होंने एक नई टैकनीक, एक नया ट्रेंड अपना लिया है। अभी मुरादाबाद में देखा गया। वहां पर जो मुस्लिम मास के वर्क्स थे, उनको पकड़ कर जेल ले जाया गया और वहां उनको सारी उंगलियों को तोड़ दिया गया... (**व्यवधान**) .... मुरादाबाद में उनकी सारी उंगलियों को चूर कर दिया गया, जिससे कि वे काम के लायक न रह जायें, जिन्दगी से बेकार हो जायें। अब उसकी घटना को बिहार में भी रिपीट किया जा रहा है। मैं पूछता हूं कि जनाब, आप हिन्दुस्तान की लिबर्टी को बचाने के लिए आए हुए हैं या लोगों की जान-माल को खत्म करने के लिए आए हुए हैं। ये घटनायें हर दिन घटती हैं, हर हफ्ते घटती हैं। इसलिये मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि इस संबंध में आप पुलिस ओरियेंटेशन के लिए क्या करने वाले हैं ? मैंने उस वक्त भी कहा था, जब नारायणपुर में प्रधान मंत्री जी गई थीं, तो देश को आश्वासन हुआ था कि अब पुलिस व्यवस्था में सुधार होगा, अच्छी पुलिस देश में बनेगी, देश के लोगों का काम होगा, लेकिन पुलिस और बरबर होती चली जा रही है, इनके आने पर, इनके आश्वासन पर।

... (**व्यवधान**) * ...

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing other than what Mr. Mandal says will go on record.

(*Interruptions*) *

श्री धनिक लाल मण्डल : मैं कैटेगोरिकली आप से यह जानना चाहता हूं कि पुलिस को ठीक करने के लिए आप कौन से कदम उठा रहे हैं? बिहार में आप जानते हैं—पुलिस की तीन जगहों पर हड़ताल हुई है—कटिहार, धनबाद, और एक अन्य जगह। आज आप की पुलिस भी विद्रोही हो रही है—आप की नीतियों के खिलाफ़। इसलिये मैं आप से जानना चाहता हूं कि पुलिस को ठीक करने के लिए आप कौन-कौन से कदम उठा रहे हैं—कृपा कर के हम को बतलाइये ?

---

*Not recorded.

तीसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं— पुलिस ने यह कहा है कि तथाकथित अपराधियों को आंखों से अन्धा कर देने से क्राइम-सिचुएशन इम्प्रूव कर गया है। मैं इस सम्बन्ध में 5 साल की फिगर्स जानना चाहता हूं—1975 से लेकर अप-टू-डेट 1980 तक आप फिगर्स दे कर बतलाइये कि आपका जो दावा है वह कहां तक सही है? मेरी जो जानकारी है, वह यह है कि भागलपुर में क्राइम सिचुएशन और बढ़ गया है, इम्प्रूव नहीं हुआ है। वहां 1975 में 82 मर्डर हुए थे, इस साल अक्तूबर तक 86 हुए हैं...

MR. DEPUTY-SPEAKER: Is it including your three years rule that you want this information for?

श्री धनिक लाल मण्डल : जी, हां। मैं पांच साल की एनुअल एव्रेज को ले रहा हूं। डकैती 100 हुई थी, लेकिन इस साल अक्तूबर तक 100 हो चुकी हैं। रावरी 5 साल की एव्रेज 64 थी, इस साल अक्तूबर, तक 59 हो चुकी है। यह आप के पुलिस विभाग के काम का नमूना है जो आप के आइ०जी०, डी०आइ०जी०, कमिश्नर हैं इन सारे लोगों ने मिल कर किया है। दूसरी तरफ़ से दावा कर रहे हैं कि क्राइम सिचुएशन इम्प्रूव कर गई है। मैंने आप के सामने आंकड़े रख दिये हैं—आप कृपा कर बतलाइये—क्या आप इन सारे अफसरों को केन्द्र में बुला लेंगे? इन को बिहार में रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन के स्थान पर अच्छे अफसरों को रखने की जरूरत है।

जैसा इन्होंने अपने बयान में कहा है कि डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन जज के सामने यह मामला 6 जुलाई को आया था तथा सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मामला 30 अक्तूबर को आया था। एक घटना जुलाई की है और दूसरी घटना अक्तूबर की है, उस के बाद भी यह सरकार कहती है कि इन को इस की कोई जानकारी नहीं थी। मैं इस सकार से बाअदब पूछना चाहता हूं कि यह क्यों इतनी कुम्भकरणी नींद में सोती है, दुनिया को पता हो गया, अखबारों में मामला आ गया, कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को पता हो गया, तब फिर सरकार को जानकारी क्यों नहीं हुई? मेरा इन पर डेफिनिट अभियोग है—इन को जानकारी थी, इन की योजना के अनुसार ये सारे काम हो रहे थे, वरना ये बतलायें कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा?

ये कहते हैं कि इन्होंने अपोजीशन लीडर्स का एन्क्वायरी कमीशन बैठा दिया है—यह बिल्कुल ग़लत बात है। मैं **सर्च-लाइट** पढ़ कर सुनाता हूं—

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am not permitting you. This will not go on record. In Calling Attention, you cannot read something. Put your question only.

श्री धनिक लाल मण्डल : ठीक है मैं सवाल पूछता हूं। इन्होंने कहा है कि लेजिस्लेटर्स की कमेटी बना कर एन्क्वायरी करने के लिये कहा गया है, यह बिलकुल झूठ और बेबुनियाद बात है।

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: As I earlier submitted to this House, this is a barbaric and heinous crime perpetrated on these people...

(Interruptions)

SHRI MANI RAM BAGRI: **

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am not permitting the hon. Member. Whatever he says will not go on record....No intervention. Nothing.

*Not recorded.

SHRI MANI RAM BAGRI: On a point of order...

MR. DEPUTY-SPEAKER: There is no point of order on calling attention.

SHRI MANI RAM BAGRI:**

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am not permitting. This will not go on record. He is spoiling the whole issue.

SHRI MANI RAM BAGRI:**

MR. DEPUTY-SPEAKER: This will not go on record. You need not reply to it.

SHRI MANI RAM BAGRI:**

MR. DEPUTY-SPEAKER: This will not go on record. I am not permitting this point of order. Your name is not there. You cannot get up.

SHRI MANI RAM BAGRI:**

MR. DEPUTY-SPEAKER: Anything said from this side will not go on record. Actually you are spoiling the matter...

(*Interruptions*)**

MR. DEPUTY-SPEAKER: If the House has to be conducted in an orderly manner and according to the rules, every hon. Member of this House has got to co-operate with the Chair. And if everyone can take the law into his own hands... (*Interruptions*) What is the rule now? During the calling attention, Mr. Mandal has raised some questions and the Minister is replying to them. Who can put the questions next is Mr. R. K. Mhalgi and not Mr. Bagri. Therefore, how can I ask him to sit down? Even taking into consideration his age, he may be equal to my father and how can I order him? I am asking him to sit down. But he does not obey. What can I do? How can I conduct the deliberations of the House? I will make a fervent appeal to every member of the House. If he does not obey the Chair, how can we conduct the deliberations of the House? This is against our culture, civilised methods and everything. I am very sorry—this is not the way how we must conduct ourselves. I will ask Mr. Bagri with folded hands to please sit down.

SHRI MANI RAM BAGRI:**

MR. DEPUTY-SPEAKER: This will not go on record. This calling attention has been allowed by me when I was in the Chair last week. When I heard this news, I felt shocked. It is a matter over which every citizen of India and all the 62 crores of our people would feel shocked and ashamed. It is such an inhuman act. Therefore, I allowed it. Everyone citizen of this country whether he is a big man or a rich man or a poor man would feel ashamed of it. Therefore, where is the politics in it? Mr. Bagri, please sit down. The Minister will reply. There are no two sides on this issue. The entire House is one on this issue—in condemning this act. Therefore, there is no politics on this...Please don't spoil it. Please sit down, Mr. Bagri ..He is replying.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: As you have very correctly put it, there is no this side or that side. The entire House is shocked on this heinous crime that has been perpetrated.

Mr. Mandal who was also a Minister of State for Home Affairs in the previous government and who also hails from Bihar explained cer-

**Not recorded.

tain caste combinations and permutations. May I humbly submit to this House that so far as the criminals are concerned, there is no caste combination. Criminals are criminals. If a bad action has been committed by any policeman, to whichever caste he belongs, he is liable to a deterrent punishment.

Incidentally, I may explain to this hon. House that the Superintendent of Police, Bhagalpur happens to be a harijan. The Bihar Government has taken immediate action in arresting these people involved in this unfortunate incident. They are being arrested as stated in my statement that is now before the House. They are being arrested and the S.P., Bhagalpur has been transferred. (*Interruptions*) The Chief Minister of Bihar took no time in constituting a Committee consisting of the legislators wherein, Shri Karpuri Thakur, the Leader of the Opposition, is a Member and the other C.P.I. Group Leader is another Member. The Committee has been constituted to go into the whole matter. (*Interruptions*)

SHRI DHANIK LAL MANDAL: This is wrong. See the report.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Don't believe that. He is speaking on behalf of Government.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: The Chief Minister of Bihar had a telephonic conversation with our Home Minister; he had also spoken to the Prime Minister and said that a Committee had been constituted and they are going into the matter.

Shri Karpuri Thakur himself is a very responsible Member of the Assembly; he is a leader of the Opposition in the Assembly. When he was Chief Minister of Bihar, the caste conflict was let loose during his regime. These are the people who import politics into all these thinks. The first caste complication was imported in Bihar during Shri Karpuri Thakur's regime. This is a known fact. (*Interruptions*) Secondly when the incident took place in October 1979, there was no Congress(I) Government. The heinous thing happened in October, 1979 when there was no Congress(I) Government at all. (*Interruptions*) Mr. Mandal who happened to be the Minister of State for Home Affairs was sitting here then. (*Interruptions*)

SHRI DHANIK LAL MANDAL: In the name of 1979... (*Interruptions*)

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: The second thing which he mentioned is about the reported statement of the Chief Minister of Bihar. He said something about it. I am not at all justifying the statement of the Chief Minister of Bihar or anybody else—I do not know in what context he has made this statement. Perhaps he might have meant that when these incidents took place there were Lok Sabha Elections; there were Assembly Elections and also there were Zila Parishad Elections. These facts were brought to the notice or not—I do not know. If he had spoken in that context, that also, I do not know. I am not here either to defend it or to contradict what the Chief Minister of Bihar has said unless I know the facts and they are brought before me by the Government of Bihar.

Another matter which Shri Mandal had mentioned was about the police orientation. As I have said in my statement, an enquiry committee has already been constituted. The criminal proceedings have been taken and they are being prosecuted.

SHRI DHANIK LAL MANDAL: This is why we are concerned.

MR. DEPUTY-SPEAKER: He is giving a reply about what has taken place.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: I am telling the hon. Member that the Government is second to none in taking prompt action and advise the Bihar Government that whatever action is necessary must immediately be taken.

Our Home Minister and the Prime Minister are in constant touch with the Chief Minister of Bihar. Whatever action has to be taken will be taken. As I have pointed out, this is not a party matter. *(Interruptions)*

SHRI DHANIK LAL MANDAL: When will you find out...

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Mandal, be patient. This kind of anger is too much for you.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: If this dialogue is going on, how can I answer?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Mandal, I am afraid you may get some blood pressure. I am repeating this kind of anger is too much for you.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: We are proceeding; an enquiry committee has been constituted as I have already said. As a matter of fact, the matter is pending before the Supreme Court and the Supreme Court has taken cognisance of this matter. Before the judicial magistrate of Bhagalpur, some case has been filed. This matter is under the Supreme Court's consideration.

Apart from that, the State Government has taken all necessary steps to bring the people to book who are involved in the matter. So, this enquiry is going on. Another matter which Shri Mandal mentioned is about the police orientation. Though it is not related to this subject, I say that there has been a constant endeavour between the Central Government as well as the State Government. As the Prime Minister said many times on the floor of the House and outside, there should be a police orientation. It is now under the active consideration of the Government of India. The policemen charged with the law and order problems must be friends, philosophers and guides of the people. We must view this in that context. And, as I have told you, these officers are being arrested; an enquiry is going on. I may assure the House once again that whosoever is involved in these sordid and heinous crimes no efforts would be spared to bring them to book. The Government is taking all possible steps to take deterrent and immediate action.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri R. K Mhalgi, Nobody else will speak except Shri Mhalgi.

SHRI R. K MHALGI (Thane): Mr. Deputy-Speaker, Sir the heinous incident of Bhagalpur jail in ,the State of Bihar has shocked the entire country and the Parliament. The whole happening is a shocking combination of perversion and cruelty. This ghastly exhibition of saddism is too horrifying to be believed A single demented policeman is not responsible for this reprehensible action; there were many accomplices—the jail officials, the doctors and so many other government officers too. Scores of poor citizens are detained without trial in jails since they do not have the resources to furnish security or bail.

The full awareness of the inability of the poor to move the courts of law and hire legal assistance makes it possible for the police to unleash a reign of terror. The exposure of atrocity by Bhagalpur police is only the tip of the iceberg. Third degree methods to extort confessions from prisoners have become a part of the police routine all over the country.

The cold-blooded indifference with which the highest officials have responded to Bhagalpur reports, shows to what extent gruesome violations of processes of law and natural justice are being tolerated and condoned. The barbarities committed against undertrials in jail by police are bound to give India a bad name in the entire civilized world.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, you can put the questions.

SHRI R. K. MHALGI: I am coming to the questions. (*Interruptions*) This is a very serious discussion. Let them not laugh. It is only at the instance of Supreme Court and because of alert paper-correspondents, the whole happening has come to light. The whole counry will undoubtedly thank them. It shows only the utter casual attitude on the part of the Bihar Government if they suspend or transfer the subordinate officers here and there. Sir, the Chief Minister of Bihar should have taken up the whole responsibility on his shoulders and he should have resigned forthwith. But, Sir, the facts are otherwise.

Now, let me put two questions. Number one. May I know from the hon. Minister whether any Minister of the Bihar Cabinet (especially the Minister of Prisons) has visited the Bhagalpur Jail during the period of the last six months? If the answer is 'yes', what were his observations, may I know? This is my first question.

Then, my second question is this: May I know whether the Government is prepared to set up a Parliamentary Committee consisting of the Members of both the Houses of Parliament, to go into all the aspects of this incident?

Let me have the reply from the hon. Minister to both these questions, Sir.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: Sir, the hon. Member has put a question whether the Bihar Minister in charge of Jails, has visited that jail during the course of the last six months, and if so, what his comments are. That is what he asked. Let me tell him that I am not aware of it. I will contact the Bihar Government and get the information about it.

Regarding his next question about constitution of a Parliamentary Committee, let me point out that the Chief Minister has already constituted a Committee consisting of the Members of the Legislature; Members of the Assembly are already there on this Committee. He has constituted this Committee already, and that Committee is going into the matter. Sir, more than that I cannot say at the moment.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : (नई दिल्ली) : मैं सब से पहले इंडियन एक्सप्रेस को बधाई देता हूं जिसने इस राक्षसी घटना को प्रकाश में लाकर एक ओर तो हमें शर्म के साथ सिर झुकाने के लिए मजबूर किया है लेकिन दूसरी ओर इस जनहित का भी संवर्धन किया है कि हमारे देश में 1980 में भगवान बुद्ध और महात्मा गाँधी के देश में अभी भी इस तरह के अमानवीय अत्याचार हो रहे हैं और उन्हें रोक नहीं पा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए देश में एक जागरूक, स्वतंत्र और निर्भीक प्रेस की आवश्यकता है।

शासन से गलतियां होंगी ....

(*Interruptions*)**

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am not permitting; it will not go on record.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : लोकतंत्र में शासन निरंकुश हो सकता है, अधिकारी अपने अधिकारों को अतिक्रमण कर सकते हैं, आम आदमी ज्यादतियों का शिकार

**Not recorded.

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

बनाया जा सकता है लेकिन शासन के भीतर चैक्स और बैलेंसिस की एक व्यवस्था है, उस में एक स्वतंत्र प्रेस का भी स्थान है लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि बिहार में जो कुछ हो रहा है उससे तो इस बारे में भी सन्देह होता है कि क्या वहां प्रेस की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा जायेगा । ?

(Interruptions) **

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am not permitting; it will not go on record.

Only Shri Vajpayee's speech; nothing else will go on record.

(Interruptions) **

SHRI N. KUDANTHAI RAMALINGAM (Mayuram): It is not at all relevant to the motion.

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The Government will take care of this.

(Interruptions) **

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हू कि क्या सरकार ने 23 अगस्त 1980 को सभी जिला मजिस्ट्रेटों को एक सीक्रेट सर्कुलर भेजा है, जिसमें उनसे कहा गया है कि समाचार पत्रों को इस तरह की खबरें न मिलने दी जायें । अगर खबरें मिलने दी जाती है तो उन खबरों को बाहर भेजा जाने से रोका जाये । माननीय मंत्री इस बारे में जानकारी प्राप्त करें । (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: There are no two opinions in this. The entire House is agitated over this incident. Let us know the facts and we will act accordingly.

(Interruptions)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मंत्री जी ने अपने ब्यान में इस बात को स्वीकार किया है कि जिन अभागे लोगों की आंखें निकाली गई और जो भागलपुर की जेल में थे, उनमें से एक व्यक्ति ने 6 जुलाई, 1980 को डिस्ट्रिक्ट जज, भागलपुर के यहां एक याचिका दाखिल की । मंत्री महोदय यह स्पष्ट करें कि बिहार सरकार के ध्यान में यह मामला उस समय क्यों नही आया ? वह सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे है, मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है - सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन -- उस फैसले में यह लिखा गया था, मैं उद्धृत कर रहा हूं :—

"All orders issued by the Magistrate of the district shall, if expressed in terms requiring immediate compliance, be forthwith obeyed and a report made, as prescribed in the said sub-section, to the Inspector-General."

It further states as follows:—

"The District Magistrate must remember that in this capacity he is a judicial officer and not an executive head and must function as such independently of the prison executive. To make prisoners' rights in correctional institutions viable, we direct the District Magistrate concerned to inspect the jails in his district once every week receive complaints from individual prisoners and enquire into them immediately. If he is too preoccupied with urgent work, paragraph 42 enables him to depute a magistrate subordinate to him to visit and inspect the jail. What is important is that he should

**Not recorded.

[Shri Atal Behari Vajpayee]

meet the prisoners separately if they have grievances. The presence of warders or officials will be inhibitive and must be avoided. He must ensure that his enquiry is confidential although subject to natural justice and does not lead to reprisals by jail officials. The rule speaks of the record of the result of each visit and inspection. This empowers him to enquire and pass orders."

6 जुलाई को एक शिकायत की गई, याचिका दाखिल की गई। जिस मजिस्ट्रेट के यहां याचिका दाखिल की गई थी, क्या वह मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जेल में गये? क्या उन्होंने हवालाती से पता लगाने का प्रयत्न किया कि उसके साथ क्या बीती है? क्या राज्य सरकार के नोटिस में यह बात नहीं लाई गई?

उसके बाद 30 जुलाई को फिर याचिकाएं दाखिल की गई, जिसके बाद इंस्पैक्टर-जनरल, प्रिजन्ज, वहां पर गये। आई० जी० भागलपुर गये। वह कमिश्नर को मले। उन्होंने डी० आई० जी० से बातचीत की। बात चीत के समय एस० पी० मौजूद थे। क्या इन सब अधिकारियों ने प्रदेश सरकार को अंधेरे में रखने का षड़यन्त्र किया था? अगर नहीं किया था, तो प्रदेश सरकार को इस बारे में जानकारी क्यों नहीं मिली?

उपाध्यक्ष महोदय, आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखा। मगर जब सेशन्ज जज के यहां याचिका दाखिल की गई, तो सेशन्ज जज ने उसको चीफ मजिस्ट्रेट को भेज दिया। चीफ मजिस्ट्रेट ने अक्टूबर में पब्लिक प्रासीक्यूटर को भेज दिया और पब्लिक प्रासीक्यूटर ने पुलिस सुपरिन्टैंडेंट को भेज दिया। नागरिकों की आंखें निकाल लीं गई। क्या ये "आंख के बदले आंख" का न्याय नहीं है? क्या यह उन्नीसवीं सदी के कानून और इंसाफ को लागू करने की कोशिश नहीं की गई? वे अपराधी थे या नहीं, इसका फैसला अदालत में होना था। पुलिस का काम है कानून और व्यवस्था का रक्षा करना। लेकिन रक्षक भक्षक बन गये।

जिन लोगों की आंखें निकाल ली गई हैं, उनमें से एक व्यक्ति ने कहा है कि अच्छा होता, मैं मार दिया जाता, गोली से उड़ा दिया जाता, एक क्षण में सारी पीड़ा समाप्त हो जाती, कौन जिन्दगी भर इस अंधेरी दुनिया में घुमेगा? कौन उसकी आंखें वापस लाने वाला है?

राज्य सरकार को पता नहीं, केन्द्र को पता नहीं। हमें भी पता नहीं। हम भी अपनी गलती मानते हैं। विरोधी दल भी इस जिम्मेवारी से बच नहीं सकते। लेकिन हमारा देश किधर जा रहा है? हमारा समाज और हमारा शासन कहां जा रहा है? हम एक बीमार मुल्क के वासी हो गये हैं। इस तरह की बर्बरता को यह कह कर ठीक ठहराया जा रहा है कि अपराध कम हो गये! दुनिया में जहां राजनीतिक विरोधियों को वन-वास में भेज दिया जाता है, साइबेरिया के जंगलों में मरने के लिए भेज दिया जाता है, वहां भी आखें निकालने का पाप नहीं किया जाता है। इन लोगों की आखों की ज्योति कौन वापस कर सकता है?

मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या कठिनाई है जुडिशल इन्क्वायरी का आदेश देने में। कहा गया है सी० आई० डी० इस मामले की जांच कर रही है। सी० आई० डी० उसी एस्टाब्लिशमेन्ट का हिस्सा है, जो निर्मम हो गया है, निर्दय

हो गया है, संवेदना-विहीन हो गया है। वह हमारा ही एस्टाब्लिशमैन्ट है, मगर उसके भरोसे यह मामला छोड़ा नहीं जा सकता है।

इस में जो बड़े अफसर शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है? एस० पी० को अरेस्ट नही किया गया है, जबकि छोटे अफसर गिरफतार किये गये हैं— वह भी आज बताया है, क्योंकि इन्हें पता था कि सदन में हंगामा होगा। लेकिन इस में बड़े अफसरों का रोल क्या है? और वह डाक्टर—वह तथा-कथित डाक्टर—कहां गया, जो बुलाया जाता था, जो आंखों में तकुआ घुसेड़ता था, एसिड डालता था? उस डाक्टर का पता नहीं है। बड़े अफसरों को क्यों छोड़ा जा रहा है? मैडिकल रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा जाये। क्या कठिनाई है सरकार के सामने एक पार्लियामैंटरी कमेटी बनाने में?

13.00 hrs.

शायद ऐसी घटना फिर कभी न हो, यह इसके ऊपर निर्भर करता है कि शासन की मशीनरी को इस तरह झकझोर दिया जाये कि अब इस तरह की धटना की पुनरावृत्ति नहीं हो।

यह राज्य का मामला नही? भारत एक देश के नाते सिगनेटरी है उस कोवेनेन्ट का जिस मे टार्चर के खिलाफ हम ने दुनिया को वचन दिया है कि हम अपने देश में टार्चर को अलाऊ नहीं करेंगे। यह मत कहिए कि बिहार की एसेम्बली ने कोई कमैटी बना दी है, अब पार्लियामेंन्ट तस्वीर में नही आती। दुनिया में इस मामले को लेकर भारत की बेइज्जती होगी और अगर किसी ने पूछा यूनाइटेड नेशन में, ह्यूमन राइटस कमीशन में तो हम क्या जवाब देंगे?

अधिक से अधिक गम्भीरता से इस मामले को लिया जाना चाहिए। महालगी साहब ने ठीक ही कहा कि इस को राजनीतिक रंग नही दिया जाना चाहिए। चाहिए तो यह था कि बिहार के मुख्य मंत्री कहते कि मेरे राज्य में यह घटना हो गई है, इस समय मैं मुख्य मंत्री हूं, मेरी नैतिक जिम्मेवारी है, मैं इस्तीफा देता हूं, फिर आप उन्हें समझा बुझा कर इस्तीफा वापिस करा सकते थे, मगर उन्होंने इतना भी नही किया। यह देश की आत्मा को झकझोरने का मौका है। हम डिवेर्टिंग प्वाइन्ट एंकोर नहीं करना चाहते। शायद और किसी के राज्य में भी ऐसा हो सकता है। मगर जो कुछ हुआ है वह आगे न होने पाये इसकी जिम्मेदारी इस सदन की है और सरकार क्या करना चाहती है, यह हम जानाना चाहते हैं।

(व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री जैल सिंह): उपाध्यक्ष महोदय, आनरेबल मैम्बर अटल बिहारी बाजपेयी जी ने कुछ बातें यथार्थ कही हैं और कुछ बातें विरोधी पक्ष का होने के नाते जोर दार लफ्जों में कहीं है। मैं इस बात को दोहराना नहीं चाहता कि इस अमानवीय अत्याचार को अब तक क्यों नही देखा गया, मगर मैं अटल बिहारी जी का मशकूर हूं कि इन्होंने इस बात को मान लिया कि न उन्होंने पता किया, न वहां की सरकार ने पता किया और न सेंटर की सरकार ने पता किया। उन से मतलब विरोधी पक्ष से है। उन्होंने कहा कि हमने भी नहीं किया, ये उन के शब्द हैं कि हमने नही किया, तो यह बात उनकी बड़ी यथार्थ है और यह अमानवीय घटना जो घटी है वह आगे न

घटे इस के लिए इंतजाम करना सरकार की जिम्मेदारी है । मैं इस बात को मानता हूं कि ऐसी सजा उन को दी जाये, आइन्दा के लिए ऐसा इंतजाम किया जाये कि ऐसी अमानवीय दुर्घटना कभी न हो सके । मगर इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि अटल बिहारी जी तो इससे बरी हो सकते हैं, मगर उनसे पहले बोलने वाले जो मैम्बर हैं, उन को भूलना नहीं चाहिए कि अक्टूबर, 1979 में यह काम शुरू हुआ और अब तक अखबारों की खबर के सिवाय किसी तरह भी यह खबर बाहर नहीं आई । मैं यह सोचता हूं और मानना चाहिए हाउस को कि एक ही तरीके से तेजाब डाल कर उनकी आंखें अन्धी की गई तो कोई न कोई साजिश जरूर हुई होगी और वह साजिस जिस रोज पहले की गई, पहले जब उन को यह साजिश और उस जुल्म को करने में उन्हें कामयाबी हो गई तब उसी तरीके से उन्होंने किया । इस लिए इस से तो पहली सरकार भी नही बच सकती और हम भी इसके लिए जिम्मेदार हैं । यह जिम्मेदारी लेने के लिए हम तैयार हैं ।

सुप्रिम कोर्ट का आर्डर उन्होंने पढ़ कर सुनाया और 6 जुलाई को जो दरखासतें दी गई अदालत में उसका, जिक्र किया । तो यह मैं इतना तो मानता हुं कि अच्छी जानकारी उन्होंने दी है लेकिन यह कोई क्वेन्श्चन नही बनता । अगला क्वेश्चन ठीक है कि जूडिसियल इन्क्वारी क्यों न करायी जाये ? तो मैं आप की और हाउस की जानकरी के लिए कह रहा हूं कि यह ऐक्शन लेने के बाद 14 अफसरों के खिलाफ मुकदमा दायर करने के बाद उनकी गिरफ्तारी का आर्डर होने के बाद यह देखा जा रहा है, जैसी की बिहार के मुख्य मंत्री ने मुझे इतिला दी कि कही जुडिशियल इन्क्वायरी करने से मुजरिमों को तो फायदा नहीं होगा। अगर जुडिशल इन्क्वायरी करते हैं तो इसमें देर तो नहीं हो जायेगी और यह मामला खटाई में नहीं पड जायेगा (व्यवधान) मैं मानता हूं जुडिशियल इन्क्वायरी करनी चाहिए लेकिन इस मामले में आपको और हम सभी को यह भी देखना है कि यह जो अमानवीय घटना हुई है उसके लिए उन लोगों को तुरन्त सजा मिले और अगर जुडिशियल इन्क्वायरी शुरू हो गई तो मुझे डर है कि इस में देरी हो जायेगी मैं जुडिशियल इन्क्वारी से इंकार नहीं करता, मैं यह बात गवर्नमैंट से कहने के लिए तैयार हूं और इस वक्त हाई कोर्ट की सर्विस में जो जज हो उसी को इन्क्वारी देनी चाहिए, इसके लिए भी मैं तैयार हूं लेकिन साथ ही इस पहलू को भी जरूर देखना चाहिए कि अगर इस मामले को जुडिशियल इन्क्वायरी के हावाले कर दिया तो इस केस के 17 मुजरिम जो थे उनकी जमानतें हो गयी हैं और 14 अन्दर हैं जोकि मंडल जी के कहने के हिसाब से बहुत गरीब आदमी हैं —गरीब भी होगें लेकिन डाकू भी बताये जाते हैं पर यह फैसला अदालत ही करेगी, हम कुछ भी नहीं कहते लेकिन एक इंसान के नाते हमारा यह फर्ज बनता है कि जिन्होंने उनको यह सजा दी है उन्होंने बहुत घटिया से घटिया और गन्दे से गन्दा काम किया है जिससे हम सभी का सिर शर्म से झुक जाता है— उनको सजा मिलनी चाहिए । लेकिन मैं बाजपेयी जी से कहना चाहता हूं कि इस में बिहार के मुख्य मंत्री और आप सब एक जैसे जिम्मेवार हैं और इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेवारी मण्डल साहब की है जिनके जमाने में यह काम शुरू हुआ । (व्यवधान)

[श्री जैल सिंह]

वाजपेयी ने यह भी कहा है कि जो एक्शन लिया गया वह छोटे अफसरों के खिलाफ लिया गया । उसमें डी वाई एस पी और सब इंस्पैक्टर्स शामिल हैं और एक चौकीदार भी उसमें शामिल है लेकिन अगर कोई बडे से बडा अफसर भी इस में शामिल होगा तो उसको सख्त से सख्त सजा देने से मैं गुरेज नहीं करूंगा ।

वाजपेयी जी ने मैडिकल रिपोर्ट के बारे में भी कहा है। चूंकि मुकदमा अदालत में है और उन की तरफ से डा० वहां जा रहे हैं लेकिन इस के साथ साथ हमने यह भी फैसला किया है कि हिन्दुस्तान के तमाम आंखों के माहरीन जो दूसरे की आंख लगा सकते हैं—अगर तेजाब से उनकी लेन्स बच गई हैं—और वे ठीक हो सकते हैं तो उनका एक बोर्ड बनाकर वहां भेजेंगे और उनपर जो भी खर्च होगा वह सरकार बर्दाश्त करेगी ।

मैं समझता हूं चीफ मिनिस्टर का यह प्वाइन्ट वैलिड प्वाइन्ट है कि तीन एलैक्शंज हुए जिनमें इस दुर्घटना को उठाया जाना चाहिए था लेकिन किसी ने भी नहीं उठाया । अब मैं इस हांउस से अपील करूंगा कि जितना भी हम इस को उछालेंगे हिन्दुस्तान की उतनी ही बदनामी होगी । केन्द्रीय सरकार की बदनामी नहीं होगी । हम वाजपेयी जी की उस बात को एप्रिसयेट करते हैं जो उन्होंने आखिर में कहीं । उन्होंने कहा कि घटना तो हो गई लेकिन उसका उपाय ऐसा किया जाय कि आइंदा ऐसी घटना न हो सके । मैं इस बात के लिए भरोसा दिलाऊंगा कि सरकार इस में कोई रियायत नहीं करेगी, कोई कसर बाकी नहीं छोडेगी और उन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जायेगी ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Mool Chand Daga.

AN HON. MEMBER: Not present.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House stands adjourned till 2-10 p.m.

13.10 hrs.

The Lok Sabha adjourned till ten minutes past fourteen of the Clock.

The Lok Sabha reassembled after lunch at eighteen minutes past fourteen of the clock.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

JUTE COMPANIES (NATIONALISATION) BILL*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KHURSHEED ALAM KHAN): Sir, on behalf of Shri Pranab Kumar Mukherjee, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the acquisition and transfer of the undertakings of the jute companies specified in the First Schedule with a view to securing the proper management of such undertakings so as to subserve the interests of the general public by ensuring the continued manufacture, production and distribution of articles made of jute, which are essential to the needs of the economy of the country and for matters connected therewith or incidental thereto.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the acquisition and transfer of the undertakings of the jute companies specified in the First Schedule with a view to securing the proper management of such undertakings so as to sub-

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II Section 2 dated 1-12-80.